राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 08/2014/कोटा.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1161/2012/कोटा)

मैसर्स रमेश चन्द शर्मा, 357, शॉपिंग सेंटर, कोटा. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/11/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1161/2012/कोटा में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कैम्प–अजमेर, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 13.02.2012 के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील, प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.2010 अन्तर्गत धारा 26 द्वारा पुराने मोटर वाहनों पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण व ब्याज आरोपित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई तथा माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा भी विवादित आदेश दिनांक 16.01.2013 में अधिसूचना दिनांक 11.10.2006 का हवाला देते हुए प्रार्थी की अपील खारिज की गयी है, जबकि दिनांक 11.10.2006 को राज्य सरकार द्वारा अनेक अधिसूचनायें जारी की गयी थी। अतः विधिसम्मत अधिसूचना को चस्पा किये बगैर विवादित आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय एकलपीठ की यह त्रुटि रेकॉर्ड पर परिलक्षित होने से अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधनीय है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....2

3. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 16.01.2013 का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों तथा राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक/विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** का हवाला देते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 में अपीलार्थी की बहस में अधिसूचना क्रमांक 97 दिनांक 11.10.2006 का अंकन किया गया है तथा इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया गया है। निर्णय के प्रत्येक भाग में अधिसूचना दिनांक के साथ क्रमांक का हवाला दिया जाना ना तो तर्कसंगत है एवं ना ही बाध्यकारी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन न्यायोचित नहीं है कि माननीय एकलपीठ द्वारा उचित अधिसूचना का हवाला नहीं दिया गया है।

6. ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया संशोधन तर्कसंगत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण, प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) की परिधि पर न्यायिक दृष्टान्त **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 हायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक** में यह अवधारित किया गया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा 37 के अन्तर्गत पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 37, पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है।

लगातार.....3

8. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **42 टैक्स अपडेट पार्ट—3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015** में प्रतिपादित किया गया है।

9. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

22.11.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य